प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का विश्लेषणात्मक अध्ययन

***डॉ.राधेश्याम साहू (सहायक प्राध्यापक) **मूलचंद साहू (सहा.प्राध्या.सविदा.)**

***राजीव गाँधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)**

****सी.एस.आर. महाविद्यालय पीपरतराई, कोटा जिला–बिलासपुर (छ.ग.)**

सारांश :– भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में MSMEs का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तथा एमएसएमई (MSMEs) के विकास के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों में वित्त की कमी प्रमुख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महाजनों से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने से कर्ज का बोझ अनावश्यक के रूप से बढ़ जाने के कारण आज अधिकांश युवा वर्ग स्वरोजगार हेतु पर्याप्त पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार की पीएम मुद्रा योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिससे GDP में वृद्वि दर निरन्तर बढ़ती जा रही है। डैडम्े के माध्यम से कम पूंजी लगाकर भी अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। उद्यमिता के माध्यम से नए–नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किया जा सकता हैं। इसके लिए मुद्रा योजना एक सकारात्मक योगदान दे रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी भूमिका को देखते हुए बजट सत्र 2024–25 हेतु इस योजना में ऋण की राशि को रू 10 लाख से बढ़ाकर रू. 20 लाख तक करने का प्रावधान किया गया है। जो देश की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य शब्द :– वित्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), मुद्रा बैंक, समावेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना :– ''वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है,'' वर्तमान में सम्पूर्ण आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्रियाएँ मुद्रा से संचालित होता है। वित्त के बिना कोई भी व्यापार प्रारंभ करने की कल्पना नहीं कर सकता हैं। प्रत्येक व्यापार के लिए पूंजी आवश्यक है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र वित्त है। समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बाँधने का कार्य वित्त ही करता है। व्यवसाय समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। व्यवसाय संचालन हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए वित्त को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। व्यवसाय के विभिन्न कार्यो के लिए वित्त की आवश्यकता को व्यावसायिक वित्त कहते है। उद्यमी जो पूंजी प्रारंभ में लगाता है वो व्यवसाय के वित्त की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती व्यवसायी वित्तीय आवश्यताओ की पूर्ति के लिए अन्य स्त्रोतों की खोज करता रहता है। वित्तीय आवश्कताओं का सही आकलन एवं इसके विभिन्न स्त्रोतों की पहचान करना किसी व्यावसायिक संगठन को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण पहलु है। भारत उद्यमियों का देश है, जहाँ लाखो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMES) आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान करते है। हालांकि, इनमें से कई डैडम्े को दस्तावेजीकरण या क्रेडिट इतिहास की कमी के कारण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओ से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्त के बिना व्यापार की कल्पना करना मात्र स्वप्न देखने जैसा ही होगा। वित्त वाणिज्य, व्यापार एवं उधोग का आधार स्तम्भ है। वित्त व्यावसायिक जगत का केंद्र बिंदु है।

वित्त की आवश्यकता एक व्यवसायी को व्यवसाय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) प्रारम्भ करते समय ही उत्पन्न हो जाती हैं जैसेदृसयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य सम्पतियो को खरीदने हेतु। इसी प्रकार से कुछ कोष की आवश्यकता दिन–प्रतिदिन के कार्यो के लिए होती हैं, जैसे– कच्चे माल का

क्रय, कर्मचारियों का वेतन आदि। व्यवसाय हेतु वित्त की आवश्यकताओं को निम्न श्रेणी में विभाजित किया जा सकता हैं–

- **स्थायी पूंजी की आवश्यकता –**

व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्थायी सम्पतियों जैसे – भूमि एवं भवन, सयंत्र, मशीनरी एवं फर्नीचर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह उद्यम की स्थायी पूंजी कहलाता है। स्थायी सम्पतियों के लिए आवश्यक पूंजी का व्यवसाय में निवेश लम्बी अवधि तक रहता है। विभिन्न व्यावसायिक इकाईयों को स्थायी पूंजी की आवश्यकता उनकी प्रकृति के आधार पर पड़ती है। जैसे– एक व्यापारिक इकाई को विनिर्माण इकाई की तुलना में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसी तरह स्थायी पूंजी की आवश्यकता एक छोटे उद्यम की अपेक्षा एक बड़े उद्यम में अधिक होती है।

- **कार्यशील पूंजी की आवश्यकता –**

किसी उद्यम की वित्तीय आवश्यकताएं स्थायी संपत्तियों के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है। उसे दैनिक कार्यकलापों हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है इसे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहते हैं। जो वेतन, मजदूरी, कर एवं किराया जैसे वर्तमान खर्चों के भुगतान के लिए होती हैं। कार्यशील पूंजी प्रत्येक व्यावसायिक इकाइयों के लिए अलग–अलग होती है जो कई तत्वों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए माल का उधार विक्रय करने तथा कम बिक्री आवर्त वाली इकाई को माल एवं सेवाओं की नगद बिक्री करने तथा अधिक आवर्त वाली इकाई की तुलना में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के साथ बढ़ जाती है। कभी–कभी उत्पादन कार्य की लागत को कम करने के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग करना होता है, जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। त्योहारों के मौसम के लिए अधिक स्टॉक जमा करने, व्यवसाय के विस्तार एवं इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीन स्थापित करना होता है। इस प्रकार पर्याप्त वित्त रहने पर ही व्यवसाय का विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के साथ नवीनीकरण किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की अवधारणा :–

MSMEs का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान को देखते हुए 8 अप्रैल, 2015 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत की गई। यह गैर– कार्पोरेट, गैर–कृषि क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) को कम ऋण दर पर रू 10 लाख तक का ऋण (Loan) देने की एक महत्वकांक्षी योजना है। जो देश में व्याप्त बेरोजगारी को कम करने, नये–नये उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन ऋणों को PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी (RRBs), लघु वित्त बैंकों (SFBs), एमएफआई (MFIs) और एनबीएफसी (NBFCs) द्वारा दिए जाते हैं। हितग्राही ऊपर बताए गए किसी भी ऋण देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या इस पोर्टल www-udyamimitra-in] www-jansamarth-in] www-msmeloans-co-in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PMMY के अंतर्गत मुद्रा के लाभार्थी को सूक्ष्म इकाई, उद्यमी की वृद्धि, विकास और

वित्तपोषण आवश्यकताओं के चरण को दर्शाने के लिए 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' नाम से तीन स्तर बनाए हैं।

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की स्थापना के वित्तपोषण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी – मुद्रा (Micro Unit Development and Refinance Agency& MUDRA) को स्थापित किया गया। जिसे मुद्रा बैंक (Mudra Bank) भी कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित एक वित्तीय संगठन है। यह बैंक प्रत्यक्ष रूप से उद्यमियों को ऋण प्रदान नहीं करती हैं। यह माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFIs) और गैर–बैंकिंग वित्तीय संगठनों (NBFCs) को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसकी स्थापना समाज के वंचित वर्गों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इसके अलावा मुद्रा बैंक भी सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और रोजगार के अवसर पैदा करने पर योगदान देता है। मुद्रा बैंक की स्थापना सिडबी बैंक (SIDBI Bank) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य भारत में "अनफंडेड" एमएसएमई (MSMEs) को पूँजी (Fund) प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की विशेषताएं :– पीएमएमवाई (PMMY) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. कम ब्याज दर (Lower interest rate) रू मुद्रा पुनर्वित्त एजेंसी है। जो अपने उपलब्ध धन को वित्तपोषित करने वाले अंतिम चरण तक पहुंचाने मे सहायक होते है ताकि उनके द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को सुविधा मिल सके। ऋण देने वाले संस्थान एमएसएमई (MSMEs) को प्रदान किए गए अन्य ऋणों की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। मुद्रा बैंक के तहत ली जाने वाली ऋण की ब्याज दर दूसरे ऋणदाता संस्थान से भिन्न होती है।
2. त्वरित ऋण प्रसंस्करण (Quick loan processing)रू मुद्रा योजना में ऋण प्रसंस्करण का समय अन्य ऋण योजना की तुलना में कम है। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं तो ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया 10 से 15 दिनों में पूरी हो जाती है।
3. क्रेडिट गारंटी (Credit guarantee)रू मुद्रा बैंक सीधे एमएसएमई (MSMEs) से संपर्क नहीं करता है। यह ऋण देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। ऋण देने वाली संस्थाएं ऋण प्रदान किए जाने के संबंध में सुरक्षित हैं। यदि ऋण देने वाली संस्था को उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है,उस दशा मे मुद्रा बैंक ऋण देने वाली संस्था को धनराशि हस्तांतरित कर देता है। सूक्ष्म इकाइयाँ आमतौर पर सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने में सक्षम नहीं होती हैं। मुद्रा बैंक द्वारा रू 10 लाख तक के ऋण बिना किसी संपार्श्विक (गिरवी) के प्रदान किए जाते है। मुद्रा बैंक क्रेडिट गारंटी का विस्तार करने हेतु "सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड" (सी.जी.एफ.एम.यू) की स्थापना की गई थी, और भारत सरकार ने 18 अप्रैल, 2016 को एक नोटिस में योजना की घोषणा की थी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एन.सी.जी.टी.सी) इस योजना की देखरेख करती है।
4. संग्रह मुक्त ऋण (Collateral free loan)रू इस योजना के तहत ऋण बिना संपार्श्विक (गिरवी) के प्रदान किया जाता है। अर्थात् इस योजना के तहत ऋण असुरक्षित हैं और ऋण देने वाली संस्थाओं को किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अतः यह ऋण अन्य ऋणों की तुलना में जोखिमपूर्ण हैं।

5. कम प्रोसेसिंग शुल्क (Low processing charges) रू पीएम मुद्रा योजना के तहत प्रोसेसिंग शुल्क बहुत कम है। शिशु और किशोर योजना के तहत प्रोसेसिंग शुल्क शून्य है एवं तरूण योजना के लिए निर्धारित शुल्क है।
6. पुनर्भुगतान अवधि (Repayment tenure)रू मुद्रा ऋण योजना के तहत पुनर्भुगतान का समय बारह माह से पांच वर्ष तक है। यह फंडिंग मुद्रा योजना के साथ मिलकर काम करती है। सरकार का श्मेक इन इंडियाश अभियान जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है, निवेश को आसान बनाना, कौशल विकास में सुधार करना और देश में सर्वोत्तम विनिर्माण संरचना बनाना आदि।
7. पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना (Provide refinance facility) : मुद्रा योजना (PMMY) ऋण देने वाले संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधा भी प्रदान करती है। पुनर्वित्त प्रक्रिया (त्मपिदंदबम च्तवबमे) के अंतर्गत मुद्रा बैंक द्वारा ऋण देने वाली संस्थाएँ एमएसएमई (MSMEs) तक वित्त की सुविधा पहुँचाती है।
8. संवितरण (Disbursement) रू योजना के तहत ऋण राशि का संवितरण बहुत आसान है। ऋण राशि स्वीकृत होने के बाद उधारकर्ता संवितरण सीमा तक ऋण राशि निकाल सकता है।
9. मुद्रा कार्ड प्रदान करना (Provide mudra card) रू मुद्रा योजना में सूक्ष्म व्यवसायों की संचालन पूंजी आवश्यकताओं के लिए मुद्रा ऋण कार्ड भी शामिल है। ये कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही काम करता हैं। ब्याज दर कम रखते हुए उधारकर्ता इसे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में आसानी से नियमित रूप से उपयोग कर सकता है। मुद्रा कार्ड उधारकर्ता के लिए क्रेडिट प्रोफाइल एवं मुद्रा लेनदेन को डिजिटल बनाने में भी सहायता करता है। मुद्रा डेबिट कार्ड का उपयोग किसी भी एटीएम से पैसे निकालने और देश भर में किसी भी 'प्वाइंट ऑफ सेल'(POS) मशीन पर नकद भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। मुद्रा कार्ड का डिजाइन डीएफएस भारत सरकार और एनपीसीआई प्राधिकरण के अनुसार है। बैंक इसे अपने लोगो (logo) और नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं।

स्त्रोत – www-mudra-org-in

10. महिला उद्यमी कार्यक्रम(महिला उद्यमी योजना) रू मुद्रा योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों के विकास पर लक्षित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे व्यक्तिगत महिला उद्यमी, महिला संयुक्त दायित्व समूहों एवं स्वयं–सहायता समूहों (SHG) को विभिन्न छोटे व्यवसाय को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हे विशेष छुट दी जा सकती हैं।उदाहरण के लिए ऋण पर ब्याज की दरों में 25% तक की कमी करना।
11. क्रेडिट गारंटी फंड (Credit guarantee fund) रू इसे पोर्टफोलियो क्रेडिट गारंटी के रूप में भी जाना जाता है, इसमें छोटे व्यवसायों को दिए गए ऋण की गारंटी के लिए एक फण्ड बनाना और

उसका उपयोग शामिल है। यह फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंध किया जाता है। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति या समूह व्यवसाय की हानि के परिणामस्वरूप अपने ऋण/EMI का भुगतान नहीं कर पाता है तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के प्रावधान बैंक को उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के चरण या प्रकार :–

मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ऋण को तीन अलग–अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसके लिए एक विशेष प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। मुद्रा योजना के तहत तीन चरण निम्न हैं :-

- शिशु मुद्रा ऋण – यह एक प्रारंभिक स्तर का ऋण है जो रू 50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार का ऋण लगभग किसी भी संगठन द्वारा अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है।
- किशोर मुद्रा ऋण – यह रू 50,001 से रू 5 लाख रुपये तक की सीमा के साथ एक अधिक गतिशील ऋण है। यह ऋण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने या उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल वित्तपोषण की आवश्यकता वाले किसी भी सूक्ष्म या लघु व्यवसाय का आधार बन सकता है।
- तरुण मुद्रा ऋण – यह रू 5 लाख से रू 10 लाख रुपये तक की सीमा के साथ एक अधिक गतिशील ऋण है। इस प्रकार का ऋण व्यवसाय के आकार को विस्तृत करने हेतु लिया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में ऋण की ब्याज दरें :–

मुद्रा बैंक पीएमएमवाई (PMMY) ऋणों की ब्याज दरें निर्धारित नहीं करती है। एजेंसी ने ऋण देने वाली संस्थाओं को मुद्रा ऋणों की ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है। इस प्रकार, मुद्रा ऋण लेने की योजना बना रहे संभावित उधारकर्ताओं को अपने मुद्रा ऋण ब्याज दरों के लिए संबंधित बैंकध्एनबीएफसीध्एमएफआई से संपर्क करना चाहिए। यह योजना के दिशा निर्देश और आपके क्रेडिट इतिहास पर आधारित होता है। मुद्रा बैंक द्वारा जारी ब्याज की दर निम्नांकित है, जो समयानुसार परिवर्तनशील हैं –

- शिशु ऋण की ब्याज दर – 1% से 12% प्रतिवर्ष
- किशोर ऋण की ब्याज दर – 8.60% से लेकर 11.50% तक
- तरुण ऋण की ब्याज दर – 11.15% से 20% तक

स्रोत– मुद्रा बैंक

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की पात्रता एवं मापदंड (Eligibility Criteria) :–

पीएम मुद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं जिन्हें आवेदक को पूरा करने की आवश्यकता है–

- न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष तक होनी चाहिये।

- गैर–कृषि क्षेत्र एवं गैर–कॉरपोरेट क्षेत्र में रू 10 लाख तक की मांग करता है।
- बिना किसी अपराधिक रिकॉर्ड का भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- किसी भी बैंक में पूर्व की स्थिति में डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।
- जिसमें आय उत्पन्न करने वाली निम्न गतिविधियाँ शामिल हों– उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के लाभार्थी या हितग्राही :–

मुद्रा योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म और मध्यम आकार के उद्यमों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस प्रकार यह आय सृजन और रोजगार सृजन के उद्देश्य को भी पूरा करता है। मुद्रा ऋण मुख्यतः निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जाते हैंरू

- व्यापारियों, दुकानदारों एवं विक्रेताओं के लिए व्यवसाय ऋण (Business Loans for Traders] Shopkeepers and Sellers): प्रत्येक उधारकर्ता उद्यमी को रू 10 लाख तक के ऋण, व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपकरण वित्त (Equipment Finance for Micro Units)रू प्रत्येक लाभार्थी 10 लाख रुपये तक के ऋण आकार के साथ आवश्यक उपकरण या मशीनरी खरीदकर छोटे या सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर सकता हैं।
- कृषि–संबद्ध गैर–कृषि आय सृजन गतिविधियों हेतु ऋण (Loans for agriculture&allied non&farm income generating activities)रू मछली पालन, कुक्कुट पालन, डेयरी, खाद्य और कृषि–प्रसंस्करण आदि जैसी गतिविधियां जो आय सृजन एवं रोजगार को बढ़ावा देती हैं, जो पीएमएमवाई (PMMY) वित्तीय वर्ष 2016–17 के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हों गए है।
- परिवहन वाहन ऋण (केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए) : यात्रियों एवं वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन वाहनों जैसे तिपहिया, ई–रिक्शा, टैक्सी आदि की खरीद और दो पहिया वाहन (वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए) भी PMMY के तहत ऋण लेने हेतु पात्र हैं।
- सामाजिक, व्यक्तिगत और सामुदायिक सेवा गतिविधियाँ (Social] personal and community service activities): इसके अंतर्गत सैलून, ड्राई क्लियरिंग, मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकानें, सिलाई की दुकानें, कूरियर एजेंट, दवा की दुकानें आदि शामिल हैं।
- कपड़ा उत्पाद क्षेत्र (TeÛtile Product Sector)रू मुद्रा योजना का उद्देश्य कॉटन (सूती वस्त्र) उद्यम, कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई, बुनाई आदि गतिविधियों को सशक्त बनाकर कपड़ा क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

मुद्रा ऋण योजना को सूक्ष्म इकाइयों के सतत् विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। ताकि लघु उद्योगों को उनके व्यवसाय संचालन के लिए ₹10 लाख तक के ऋण की व्यवस्था की जा सके। लघु या सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य–स्तरीय और क्षेत्रीय स्तर के समन्वयकों के साथ भी साझेदारी करता है। अध्ययन के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न हैं–

- संपूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की प्रगति का विश्लेषण करना है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की आवश्यकता एवं महत्व को समझना है।
- MSMEs के वित्तीय प्रबंधन में मुद्रा बैंक की भूमिका का अध्ययन करना है।

अध्ययन की परिकल्पना :–

1. अध्ययन की परिकल्पना यह है कि MSMEs को वित्त पोषित करने में PMMY की भूमिका सकारात्मक है।
2. अध्ययन की परिकल्पना यह है कि MSMEs के विकास की गति को बढ़ाने में PMMY की भूमिका महत्वपूर्ण है।
3. अध्ययन की परिकल्पना यह है कि MSMEs के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में PMMY की भूमिका अग्रणी रहा है।
4. अध्ययन की परिकल्पना यह है कि PMMY से मुद्रा ऋण लेने वाले नए उद्यमियों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियां कम हुई है।
5. अध्ययन की परिकल्पना यह है कि PMMY के अन्तर्गत लाभार्थियों की कार्य संतुष्टि स्तर में वृद्धि हुई है।

साहित्य की समीक्षा :–

1. किशोर (2012) ने भारत में एमएसएमई की वृद्धि और प्रदर्शन का विस्तृत अध्ययन किया। शोध अध्ययन द्वितीयक डेटा पर आधारित है और डेटा का विश्लेषण करने के लिए कार्ल पियर्सन सहसंबंध विधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन ने सुझाव दिया कि छोटी फर्में अधिक श्रम गहन हैं, इसलिए ये फर्म रोजगार सृजन में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा, यह दर्शाया गया है कि एमएसएमई और निश्चित निवेश के बीच सकारात्मक सहसंबंध है।
2. वर्मा एस. (2015) ने बताया है कि मुद्रा योजना का डिजाइन न केवल एमएसएमई की वित्तीय समस्याओं को पूरा करेगा बल्कि बड़ी संख्या में युवा आबादी को उद्यमी बनने के लिए नैतिक समर्थन भी देगा।
3. भारद्वाज (2016) ने भारत में उद्यमिता के वर्तमान नीतिगत सुधारों पर चर्चा की। शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश इनमें से अधिकांश वर्तमान सुधार कौशल विकास उपायों पर केंद्रित हैं, जो प्रौद्योगिकी सक्षम स्टार्ट–अप को जन्म दे रहे हैं। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि परिणामों का विश्लेषण करने के लिए एक उचित पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इन पहलों की नियमित आधार पर प्रभावशीलता और जमीनी स्तर पर उद्यमिता विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य समाज के प्रौद्योगिकी–विहीन वर्ग को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
4. आर रूपा (2017) ने दिखाया है कि मुद्रा योजना तमिलनाडु में बहुत सफल है। यह पाया गया है कि एमएफआई ने पीएमएमवाई के तहत वित्तपोषित खातों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
5. महाजन (2018) ने पीएमएमवाई (PMMY) के हिस्से के रूप में मुद्रा द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों और भारतीय स्वरोजगार, सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर उनके प्रभाव का खुलासा किया। शोध से हमें

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मुद्रा कार्यक्रमों और भारत में छोटे और गैर–उद्यम क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में मदद मिली। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले माध्यमिक डेटा स्रोत हैं। लेखकों ने वर्णनात्मक सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि यह प्रणाली वित्तीय संस्थानों के बीच लोकप्रिय है। भारत सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य एसएमई (SME) मालिकों को वित्तीय गतिविधियों में शामिल करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करना था। लेखक ने आगे निष्कर्ष निकाला कि यह कार्यक्रम महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए भी उपयोगी होगा। अगर यह सिस्टम अच्छे से काम करता रहा तो घरेलू बाजार बढ़ेगा। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में योगदान देंगे।

6. डॉ. निपुण अग्रवाल और मनजीत (2023)– यह अध्ययन नीति निर्माताओं के लिए वित्तीय समावेशन और एमएसएमई (MSMEs) के विकास पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की भूमिका जानने में मददगार होगा। यह अध्ययन हरियाणा राज्य में बैंक और संभाग–वार पीएमएमवाई (PMMY) के योगदान और सफलता दर जानने में भी सहायक है। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में पीएमएमवाई (PMMY) की भूमिका, भारत में पीएमएमवाई (PMMY) ऋणों का क्षेत्रवार वितरण, पीएमएमवाई (PMMY) का प्रभाव, व्यावसायिक कारकों को बढ़ावा देना, हरियाणा में मुद्रा ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं और चुनौतियां, पीएमएमवाई (PMMY) के संबंध में उत्तरदाताओं की संतुष्टि। यह सभी हितधारकों, जैसे– पुरुष और महिला, छात्रों, शोधकर्ताओं, वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों, सरकारी प्रशासकों आदि के लिए बहुत मददगार होगा। यह हरियाणा और पूरे भारत में मुद्रा योजना (PMMY) की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए व्यवसायियों के लिए भी उपयोगी है।

अध्ययन की शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन की प्रविधि के रूप में द्वितीयक समंकों के प्रकाशित आंकड़े के विश्लेषण को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति दर के विश्लेषण को सम्मिलित किया गया है, जो डैडत्र के वित्त पोषण में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

एमएसएमई (MSMEs) के विकास में PMMY की भूमिका रू– एमएसएमई (MSMEs) के विकास में PMMY की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है–

- वित्त पोषण करने में सहायक – मुद्रा बैंक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रसंस्करण, व्यापार, निर्माण आदि जैसी गैर–कृषि गतिविधियों से आय के अवसर सृजित करने के लिए रू 10 लाख तक के ऋण को मंजूरी देने मे सहायक है। यह उन फर्मों की सहायता करता है जिन्हें निवेश के लिए तत्काल पूंजी की आवश्यकता होती है। पीएम मुद्रा योजना के फलस्वरूप लघु उद्योगों के विकास के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है।
- रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक – मुद्रा बैंक रोजगार के विभिन्न स्रोतों को बनाने और प्रोत्साहित करने में मदद करता है। पीएम मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को कम दर पर ऋण प्राप्त करने में सहायता करती है। इस तरह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण सुविधाएं प्रदान करके समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि किया जाता ळें

- सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (MFI) का विनियमन एवं निगरानी में सहायक – माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का नेटवर्क मुद्रा बैंक की मदद से नए पंजीकरणों की निगरानी और विनियमन करने में सहायता करता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को भविष्य के उद्यमी बनने के लिए युवा, कुशल और शिक्षित श्रमिकों में विश्वास पैदा करने को प्राथमिकता देता है।
- वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना – PMMY तकनीकी समाधानों के माध्यम से छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को अंतिम छोर तक वित्तीय सुविधाओं की पहुँच के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। मुद्रा योजना के माध्यम से सरकार ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non&Banking Financial Companies&NBFCs) को लघु उद्योगों तक पहुंचने का एक अच्छा साधन माना है।
- वित्तीय प्रणाली (Financial System) – अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली वह व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा बचतों का संग्रहण, उनके निवेशों का प्रभाव पूर्ण आबंटन, विकास एवं विस्तार में निवेशों का प्रबंधन एवं नियंत्रण आदि तत्वों या संघटकों का समावेश होता है। एक अर्थशास्त्री ने वित्तीय प्रणाली की परिभाषा देते हुए कहा कि वित्तीय प्रणाली, वित्तीय संस्थानों, बाजारों, उपकरणों, सेवाओं, कार्य पद्धतियों का एक अंतर संबंधित समूह है। विस्तृत रूप में वित्तीय प्रणाली का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें बचत एवं निवेश करने वालों के बीच निकट संबंध स्थापित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का संग्रहण, विनियोजन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किया जाता है।
- वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) – वित्तीय समावेशन वह है जब हर कोई वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकता है जो उन्हें बचत, ऋण, इक्विटी और बीमा सहित धन बनाने में मदद कर सकती हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे व्यक्ति और व्यवसाय प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों ही परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपट पाते हैं। खातों तक पहुँच होने से, व्यक्ति ऋण और बीमा सहित कई वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non&Banking Financial Company] NBFCs) :–

एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन इन्हे पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस वाले बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। एनबीएफसी बैंक नहीं हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों में उधार और अन्य गतिविधियां जैसे ऋण एवं अग्रिम, क्रेडिट सुविधाएं, बचत और निवेश उत्पाद, मुद्रा बाजार में व्यापार, स्टॉक पोर्टफोलियो का प्रबंधन, धन हस्तांतरण आदि शामिल हैं। एनबीएफसी गतिविधियां शुरू होने से पहले एनबीएफसी पंजीकरण आवश्यक है। उनकी गतिविधियों में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस आदि शामिल हैं। एनबीएफसी द्वारा जमा स्वीकार किया जा सकता है लेकिन केवल सावधि जमा (FD) कोटक महिंद्रा फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, श्री राम फाइनेंस एवं बजाज फाइनेंस आदि प्रसिद्ध एनबीएफसी (NBFCs) के कुछ उदाहरण हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का विश्लेषण –

Table 01. Achievements Under PMMY in India

(Amount Rs. in Crore)

Financial Year	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Cumulative total (upto 2023-24)
No. of PMMY Loans Sanctioned	59870318	62247606	50735046	53795526	62310598	66777013	355736107
Amount Sanctioned	321722.79	337495.53	321759.25	339110.35	456537.98	541012.86	2317638.76
Amount Disbursed	311811.38	329715.03	311754.47	331402.2	450423.66	532358.35	2267465.09
Growth Rate (No. of PMMY Loans)		3.97	-18.49	6.03	15.82	7.16	

Source : Annual reports of MUDRA

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। जो घटती– बढ़ती रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें स्वीकृत की गई ऋणों की संख्या का वृद्धि दर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019–20 में 3.97%, 2020–21 में –18.49% कमी दर्ज की गई, 2021–22 में बढ़कर 6. 03%, 2022–23 में 15.82%, तथा 2023–24 में 7.16% रही हैं। जिसका औसत दर 2.89% रहा हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक के स्वीकृत की गई राशि एवं वितरित की गई राशि की प्रवृत्तियों में स्थिरता नहीं पायी गई है। जिसके कारण क्रमशः कमी–वृद्धि देखी जा सकती है।

Table 02. Progress of Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY) in Chhattisgarh

(Amount Rs. in Crore)

Category		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Cumulative total (upto 2023-24)
Shishu (Loans up to 50,000)	No. of PMMY Loans Sanctioned	1078662	1115562	821423	772151	762293	634021	5184112
	Amount Sanctioned	2772.99	3176.22	2320.11	2176.54	2437.72	2245.92	15129.5
	Amount Disbursed	2670.54	3148.1	2284.9	2163.56	2416.51	2203.42	14887.03
Kishor (Loans from 50,001 to 5.00 Lakh)	No. of PMMY Loans Sanctioned	104111	120936	180074	177627	328352	376216	1287316
	Amount Sanctioned	1770.76	1851.61	2558.65	2202.65	4023.4	4708.65	17115.72
	Amount Disbursed	1545.02	1676.15	2360.22	2141.34	3968.6	4271.02	15962.35
Tarun (Loans from 5.00 Lakh to 10.00 Lakh)	No. of PMMY Loans Sanctioned	18799	24520	25769	20618	24282	25337	139325
	Amount Sanctioned	1409.46	1931.21	1868.04	1550.3	1930.5	2029	10718.51
	Amount Disbursed	1351.79	1867.44	1777.95	1492.56	1877.46	1961.94	10329.14
Total	No. of PMMY Loans Sanctioned	1201572	1261018	1027266	970396	1114927	1035574	6610753
	Amount Sanctioned	5953.21	6959.04	6746.8	5929.49	8391.61	8983.57	42963.72
	Amount Disbursed	5567.35	6691.69	6423.07	5797.46	8262.57	8436.37	41178.51
Growth Rate (Total no. of PMMY Loans Sanctioned)			4.94	-18.53	-5.53	14.89	-7.11	

Source : Annual reports of MUDRA

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। जो घटती– बढ़ती रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी के कुल स्वीकृत की गई ऋणों की संख्या का वृद्धि दर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019–20 में 4.94%, 2020–21 में –18.53%, 2021–22 में –5.53% कमी दर्ज की गई, 2022–23 में बढ़कर 14.89%, तथा 2023–24 में –7.16% की कमी देखी गई। जिसका औसत दर –2.26% रहा हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक के स्वीकृत की गई राशि एवं वितरित की गई राशि की प्रवृत्तियों में स्थिरता नहीं पायी गई है। जिसके कारण क्रमशः कमी–वृद्धि देखी जा सकती है।

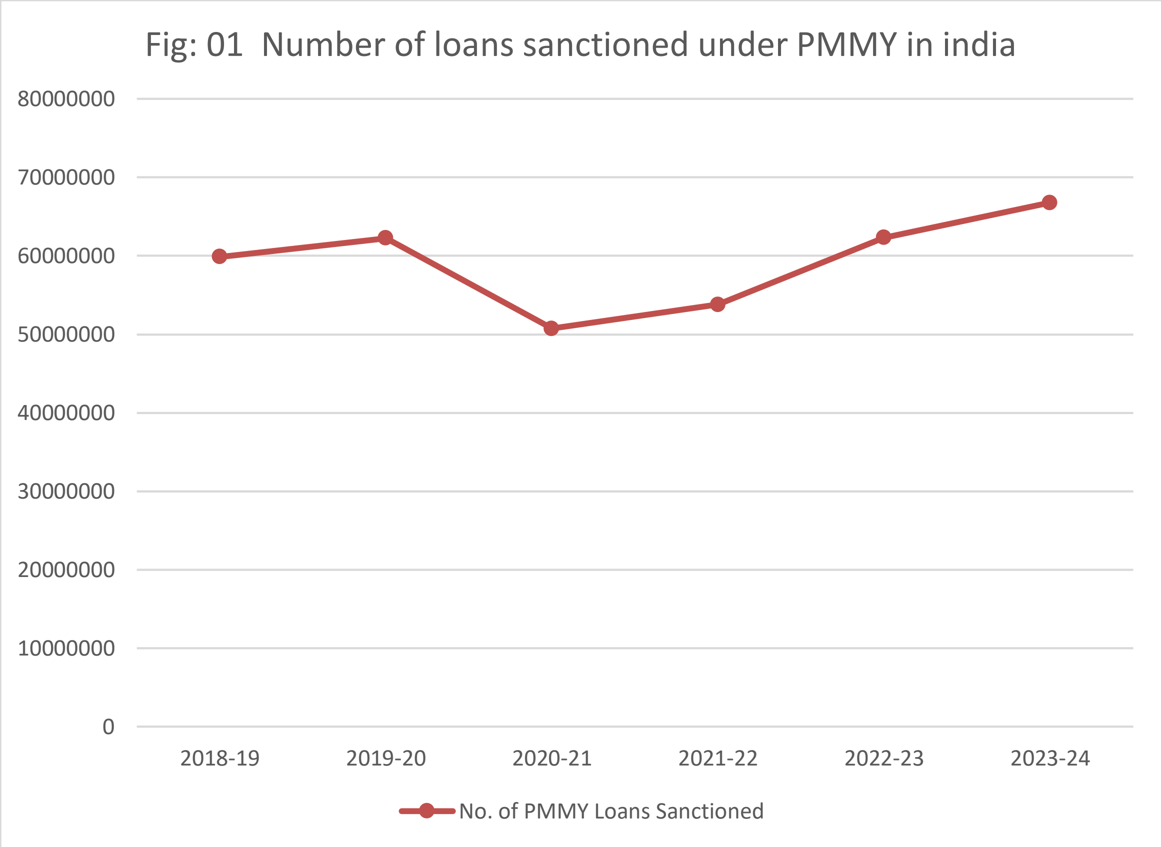

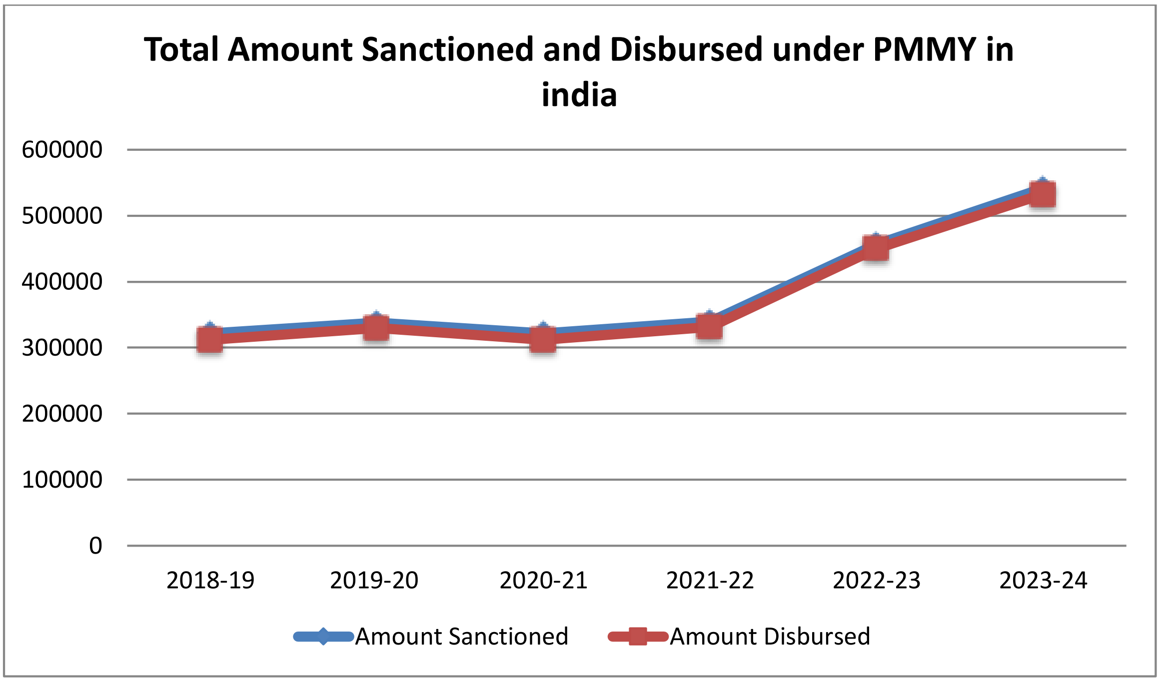

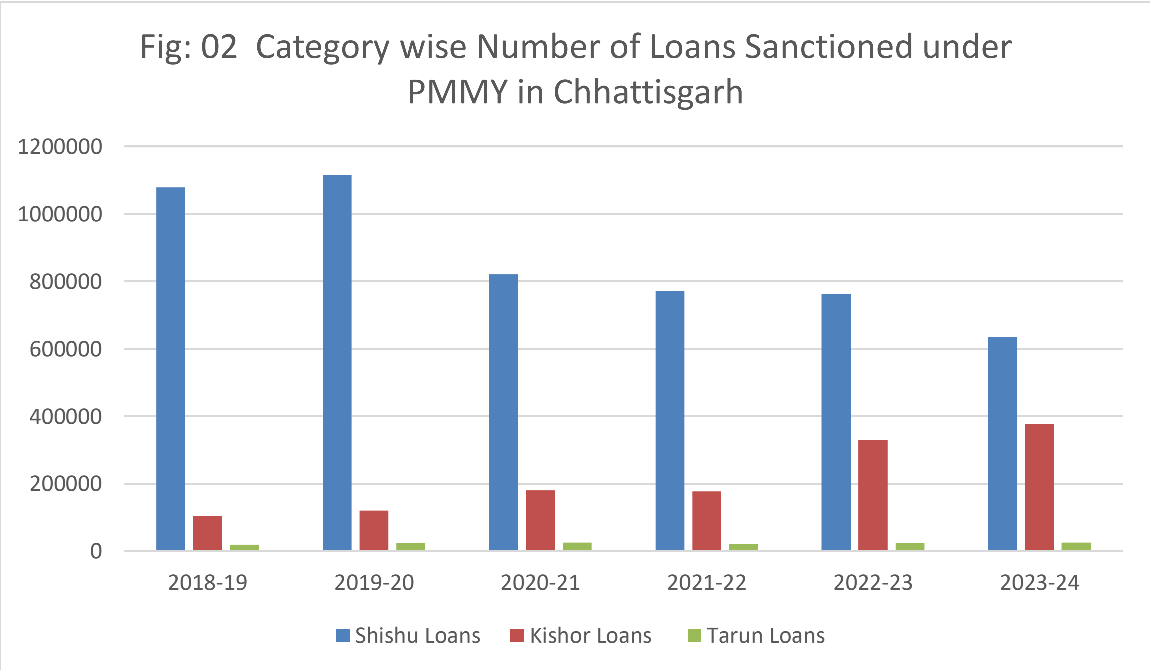

निष्कर्ष :–

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) वित्तीय समावेशन और एमएसएमई (MSME) के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। एमएसएमई (MSMEs) का विकास भारत सरकार की श्मेक इन इंडियाश योजना की प्रगति में योगदान दे रहा है। साथ ही मुद्रा योजना (PMMY) निम्न आय वर्ग, वंचित आबादी एवं समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर रही है। PMMY लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाता है। PMMY के माध्यम से वित्तीय समावेशन, ऋण आवश्यकता और पुनर्वित्त के अवसरों मे वृद्धि होती हैं। इस प्रकार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की देश में वंचित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को वित्त तथा ऋण प्रदान करने वाली एक मुख्य पहल बनी हुई है। PMMY वित्तीय समावेशन प्राप्त करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सही दिशा में एक कदम है और स्वरोजगार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दर्शना टीएन, तेजस्विनी एच (2024), ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन मूल्यांकनः पीएमएमवाई योजना का एक अध्ययन, शैक्षिक प्रशासनः सिद्धांत और अभ्यास 30 (1), 1926–1930
2. देवी अनीता (2023), प्रधानमंत्री मुद्रा योजनारू एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, अभिनव अनुसंधान विचार 9 (3), 73–80
3. अग्रवाल डॉ. निपुण, मंजीत (2022), एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसायों को बढ़ावा देने में पीएमएमवाई के प्रभाव का विश्लेषण, जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल नेगेटिव रिजल्ट्स, 6407–6412
4. राजगोपाल डी (2022), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का प्रदर्शन–एक तुलनात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज 3 (7), 104–113
5. जयंती के (2019), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का प्रदर्शन विश्लेषण, आईजेआरएआर–इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज (आईजेआरएआर) 6 (3), 55–58–55–58
6. अरविंदराज के, बाला जय गणेश (2018), दक्षिण भारत में पीएमएमवाई का प्रदर्शन विश्लेषण, आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट 20 (1), 24–28
7. अग्रवाल मनीष, द्विवेदी रितेश (2017), प्रधानमंत्री मुद्रा योजनारू एक आलोचनात्मक समीक्षा, परिकल्पनारू केआईआईटी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट 13 (2), 97–106
8. कविता पी, बाग पंकज कुमार (2017), भारत में बैंक – पीएमएमवाई योजना के तहत उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करने में दक्षताः डीईए दृष्टिकोण, स्मार्ट जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज 13 (2), 73–83
9. शाहिद महम्मद, इरशाद महम्मद (2016), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर एक वर्णनात्मक अध्ययन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझानों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, विशेष अंक, 121–125
10. www.mudra-org-in/
11. https://www-myscheme-gov-in/schemes/pmmy
12. https://www-mudra-org-in/PMMYReport
13. https://scholar-google-com/
14. https://shodhganga-inflibnet-ac-in/